भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2719
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: हरियाणा में फसल बीमा भुगतान

2719. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मानती है कि हरियाणा राज्य में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत फसल बीमा भुगतान में 90 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है जो 2022-23 में 2,496.89 करोड़ रुपये से घटकर 2023-24 में केवल 224.43 करोड़ रुपये रह गया है;

(ख) जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों को लगातार हो रहे नुकसान के बावजूद इस भारी कमी के क्या कारण हैं;

(ग) 2016 में इस योजना के आरंभ के बाद से प्रति वर्ष भुगतान किए गए प्रीमियम में केंद्र, राज्य सरकारों और किसानों द्वारा अंशदान की गई राशि और किसानों को प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले मुआवजे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने या तो अंशदान वापस ले लिया है/बंद कर दिया है या भुगतान में चूक की है; और

(ङ) किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने और पीएमएफबीवाई में उनका विश्वास बहाल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख) : फसल बीमा, किसानों के लाभ के लिए जोखिम कम करने का एक प्रमुख उपाय है। बीमा का तात्पर्य जोखिम को अवधि और क्षेत्र में विस्तार करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) मुख्यतः एरिया अप्रोच के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है, जिसमें दावों की गणना संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत थ्रेशोल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में कमी के आधार पर और स्कीम के परिचालन दिशानिर्देशों में दिए गए सूत्र के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार, दावों की गणना प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में हुए नुकसान पर निर्भर करती हैं। हरियाणा में पिछले 4 वर्षों के दौरान PMFBY के तहत भुगतान किए गए दावों का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे
2020-21	1169.58	1162.72
2021-22	1652.79	1649.59
2022-23	2542.51	2518.66
2023-24	273.31	265.23

इसके अलावा, स्कीम के परिचालन दिशानिर्देश 2023 के खंड 19.2 के अनुसार, बीमा कंपनी और राज्य सरकार के बीच उपज डेटा आदि से संबंधित किसी भी विवाद का निपटान, विवाद के किसी भी पक्षकार द्वारा अपील करने पर प्रारंभिक स्तर पर राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (STAC) और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (CTAC) के माध्यम से किया जाता है।

खरीफ 2023 सीज़न के दौरान, भिवानी और चरखी दादरी ज़िलों में कपास की फसल से संबंधित उपज डेटा विवाद का निपटान करने के लिए, STAC हरियाणा ने 20 अगस्त 2024 को आयोजित अपनी बैठक में, PMFBY के परिचालन दिशानिर्देश 2023 के खंड 19.5, 19.6 और 19.7 के अनुसार महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (MNCFC)/हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (HARSAC) से ग्राम-वार तकनीकी उपज प्राप्त करने का निर्णय लिया, जिसे राज्य सरकार और बीमा कंपनी दोनों ने स्वीकार कर लिया। CTAC के आदेशों के विरुद्ध किसी भी पक्ष द्वारा CTAC में कोई और टिप्पणी/अपील नहीं की गई। इस प्रकार, कपास की फसल के लिए खरीफ 2023 सीज़न के दावों की गणना की गई है और स्कीम के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया गया है।

(ग) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बीमांकिक/बोली प्रीमियम दरें ली जाती हैं। हालाँकि, पूरे देश में सीजन के लिए किसानों से बेहद कम प्रीमियम दर ली जाती है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 5% है। पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से), जहाँ यह 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है, को छोड़कर बीमांकिक प्रीमियम का शेष भाग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है । इसके अलावा, खरीफ 2023 से प्रभावी स्कीम के परिचालन दिशानिर्देश, मानक PMFBY के अलावा 3 वैकल्पिक जोखिम अंतरण मॉडल अर्थात् कप और कैप मॉडल (80: 110), कप और कैप मॉडल (60: 130) और लाभ और नुकसान साझाकरण मॉडल भी हैं, जिसके तहत निश्चित थ्रेशोल्ड से नीचे के दावों के मामले में, सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भुगतान किए गए प्रीमियम का हिस्सा राज्य के कोष में वापस चला जाएगा। इसके अलावा, निश्चित थ्रेशोल्ड से ऊपर के दावों के मामले में, केंद्र और राज्य को दावों का भुगतान करना आवश्यक है। राज्यों को इनमें से किसी एक मॉडल को चुनने की छूट दी गई है। तदनुसार, राज्य सरकार का वास्तविक योगदान उपलब्ध नहीं हो पाता है। प्रीमियम में किसानों के हिस्से का राज्यवार विवरण, भारत सरकार का प्रीमियम का हिस्सा और स्कीम की शुरुआत से खरीफ 2024 सीज़न तक भुगतान किए गए दावे **अनुबंध** पर दिया गया है।

(घ) : चूँकि यह स्कीम राज्यों और किसानों दोनों के लिए स्वैच्छिक है, इसलिए आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों ने कुछ सीजन तक इसे कार्यान्वित करने के बाद इससे अलग हो गये। भारत सरकार के प्रयासों से, आंध्र प्रदेश और झारखंड पुनः इस स्कीम में शामिल हो गए हैं।

(ङ) : सरकार ने PMFBY के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें किसान आवेदनों की कवरेज में वृद्धि, पारदर्शिता, दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करना और स्कीम के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की प्रदायगी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए एकल डेटा स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** का विकास किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें सभी दावों का समय पर और पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करना शामिल है।

- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग करने का कार्य शुरू किया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।
- स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रीमियम हिस्से को अग्रिम रूप से जमा करने के लिए एस्क्रो खाता खोलना, खरीफ 2025 सीजन से अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अलावा, स्कीम के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, **CCE-Agri App** के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा एकत्र करना और उसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन की निगरानी करने की अनुमति देना, राज्य भूमि अभिलेखों को NCIP के साथ एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान में सुधार हो सके।
- बीमा कंपनी द्वारा दावों के भुगतान में देरी पर 12% जुर्माने का प्रावधान है, जिसकी गणना राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर स्वतः होती है।
- सरकार ने किसानों और पंचायती राज संस्थानों (PRI) के सदस्यों के बीच PMFBY की प्रमुख विशेषताओं का प्रसार करने के लिए राज्यों, कार्यान्वित बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) नेटवर्क द्वारा की जा रही जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहयोग दिया है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ 2021 सीजन से सुव्यवस्थित जागरूकता अभियान 'क्राप इंश्योरेंसवीक /फसल बीमा सप्ताह' शुरू किया गया है। इसके साथ ही, स्कीम कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों के ज्ञानवर्धन हेतु ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर 'फसल बीमा पाठशालाएँ' भी आयोजित की जा रही हैं।
- सरकार ने देशव्यापी स्तर पर घर-घर फसल बीमा पॉलिसी/रसीद वितरण महाअभियान - 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' का भी आयोजन किया है। ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नामांकित किसानों को फसल बीमा पॉलिसी रसीदों की हार्ड कॉपी वितरित की जाती है।

इस स्कीम के अंतर्गत हाल ही में वर्ष 2023-24 से औब्जैकटिव फसल क्षति एवं नुकसान आकलन और पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

i. यस-टेक (तकनीक पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली) का रिमोट-सेन्सिंग आधारित उपज अनुमान हेतु क्रमिक अनुप्रयोग, जिससे उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान के लिए 30% भारांश अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ 2024 सीज़न से जोड़ा गया है।

ii. विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम) ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क के 5 गुना के बराबर स्वचालित मौसम स्टेशनों (AWS) और स्वचालित वर्षा-मापी (ARG) नेटवर्क की स्थापना करेगा। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से इंटर-ओपरेबिलिटी और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में डाला जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए, बल्कि प्रभावी सूखा एवं आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

सरकार द्वारा की गई उपरोक्त पहलों के कारण, देश में नामांकित किसान आवेदनों की संख्या वर्ष 2016-17 में 586 लाख से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1510 लाख हो गई है।

अनुबंध

पीएमएफबीवाई के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक प्रीमियम में किसानों की हिस्सेदारी, प्रीमियम में भारत सरकार की हिस्सेदारी और भुगतान किए गए दावों का राज्यवार विवरण (30.06.2025 तक) (रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20		
	प्रीमियम में किसानों का हिस्सा	भारत सरकार का प्रीमियम हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	प्रीमियम में किसानों का हिस्सा	भारत सरकार का प्रीमियम हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	प्रीमियम में किसानों का हिस्सा	भारत सरकार का प्रीमियम हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	प्रीमियम में किसानों का हिस्सा	भारत सरकार का प्रीमियम हिस्सा	भुगतान किए गए दावे
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.002	0.005	0.146	0.002	0.011	-	-	-	0.088	-	-	-
आंध्र प्रदेश	199.8	301.9	944.4	248.8	511.7	740.1	313.8	553.4	1,892.4	0.2	503.3	1,251.7
असम	5.0	1.8	5.4	5.1	3.4	1.2	2.0	3.6	2.8	4.0	24.5	109.4
बिहार	223.2	672.1	409.5	179.3	424.7	401.5	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ	121.7	83.8	160.0	132.9	114.5	1,391.4	160.9	364.0	1,087.2	180.7	532.6	1,305.6
गोवा	0.068	0.003	0.027	0.048	0.001	0.005	0.033	0.000	0.101	0.022	0.008	0.007
गुजरात	243.2	947.6	1,267.2	385.7	1,314.3	1,075.8	402.6	1,369.4	2,778.0	467.9	1,573.5	492.2
हरियाणा	196.5	64.9	298.2	207.9	96.7	898.9	238.1	262.5	947.7	268.8	421.4	903.8
हिमाचल प्रदेश	31.2	20.4	45.5	30.5	23.5	64.7	29.5	24.7	54.7	30.7	26.2	68.1
जम्मू और कश्मीर	-	-	-	8.8	15.8	9.8	16.9	30.0	27.1	-	-	-
झारखंड	39.6	115.9	31.1	28.3	91.8	47.2	4.5	164.8	751.2	2.8	140.9	27.9
कर्नाटक	235.2	548.8	2,093.8	234.5	793.1	856.8	228.9	783.9	2,987.8	253.5	1,010.1	1,530.9
केरल	7.2	13.0	43.7	6.3	9.8	11.0	6.2	14.9	26.7	6.1	33.2	87.9
मध्य प्रदेश	723.9	1,527.0	2,043.8	795.7	1,933.7	5,881.3	942.1	2,344.3	3,787.8	650.1	1,631.3	6,155.3
महाराष्ट्र	682.6	1,956.9	2,317.9	504.0	1,815.4	3,315.7	789.6	2,657.7	6,142.7	863.1	2,734.9	6,966.7
मणिपुर	0.7	1.4	2.0	0.7	0.6	0.7	-	-	0.0	0.3	0.5	1.1
मेघालय	0.013	0.014	0.026	0.553	0.067	0.018	-	-	0.216	0.086	0.002	0.178
ओडिशा	142.6	198.2	432.7	145.3	336.7	1,820.1	173.8	474.7	1,160.4	242.3	946.8	1,187.0
पुदुचेरी	0.225	1.202	7.551	-	-	-	0.011	0.015	0.452	0.590	1.020	-
राजस्थान	376.4	1,084.8	1,917.4	502.0	1,101.2	2,242.6	617.4	1,501.7	3,444.2	743.9	2,197.0	4,956.5
सिक्किम	0.007	0.001	0.108	0.064	0.001	0.038	0.027	-	0.002	0.002	-	-
तमिलनाडु	113.4	528.9	3,646.2	125.9	573.7	2,097.3	170.0	739.3	2,653.5	177.5	891.1	1,261.2
तेलंगाना	113.5	89.2	179.6	187.1	241.6	648.4	156.0	194.8	565.0	239.7	320.9	513.4
त्रिपुरा	0.292	0.049	0.705	0.593	0.074	0.999	0.049	0.020	0.016	0.756	0.155	0.898
उत्तर प्रदेश	529.4	320.6	574.6	375.4	473.3	380.9	411.2	548.3	468.5	322.2	495.3	1,065.5
उत्तराखंड	19.6	11.0	27.5	18.8	24.5	39.5	21.0	27.0	72.5	28.2	42.7	103.3
पश्चिम बंगाल	115.3	229.4	421.7	79.0	201.3	261.1	111.1	206.1	535.7	-	-	-
कुल योग	**4,120.8**	**8,718.8**	**16,870.8**	**4,203.5**	**10,101.5**	**22,187.1**	**4,795.9**	**12,265.1**	**29,386.8**	**4,483.6**	**13,527.5**	**27,988.5**

जारी .../-

पीएमएफबीवाई के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक प्रीमियम में किसानों की हिस्सेदारी, प्रीमियम में भारत सरकार की हिस्सेदारी और भुगतान किए गए दावों का राज्यवार विवरण (30.06.2025 तक) (रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21			2021-22			2022-23		
	किसानों का हिस्सा	भारत सरकार शेयर	भुगतान किए गए दावे	किसानों का हिस्सा	भारत सरकार की हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	किसानों का हिस्सा	भारत सरकार का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.009	0.060	-	0.012	0.085	-	0.002	0.016	-
आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	1,118.5	546.7
असम	0.4	104.9	188.0	0.2	75.4	256.4	4.4	65.2	20.0
बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ	187.6	623.2	888.0	186.1	620.8	1,432.2	212.4	702.9	534.3
गोवा	0.004	0.001	-	0.005	0.002	-	0.010	0.001	0.001
गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	345.0	482.2	1,162.7	313.8	447.7	1,649.6	345.0	481.1	2,518.7
हिमाचल प्रदेश	22.4	36.5	84.6	20.2	35.1	77.1	21.5	38.2	69.1
जम्मू और कश्मीर	-	-	-	6.6	16.7	52.7	6.9	17.0	6.3
झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	217.6	819.6	1,070.5	250.6	878.2	1,543.4	324.3	1,098.1	2,386.1
केरल	6.7	38.2	127.2	7.4	47.2	102.7	10.4	63.6	183.0
मध्य प्रदेश	906.6	3,151.1	7,750.8	814.8	2,964.1	2,803.8	650.1	1,577.7	1,049.5
महाराष्ट्र	760.2	2,719.6	1,307.9	662.4	2,456.0	4,778.5	903.4	2,296.7	5,390.9
मणिपुर	-	-	-	0.3	1.1	1.5	0.4	1.3	1.6
मेघालय	0.037	0.000	0.073	-	-	-	0.035	0.036	0.012
ओडिशा	158.4	639.8	572.2	135.3	574.7	1,043.5	132.3	570.1	581.0
पुदुचेरी	0.001	1.708	0.540	0.002	2.425	2.953	0.022	2.481	3.551
राजस्थान	903.7	2,624.8	4,054.5	823.8	2,558.6	4,996.8	839.0	2,590.6	4,360.3
सिक्किम	0.007	0.000	0.022	0.082	0.010	-	0.149	0.027	-
तमिलनाडु	176.1	1,120.8	2,653.4	166.9	930.2	817.1	161.9	1,048.5	917.0
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-
त्रिपुरा	0.289	1.898	2.573	0.375	3.797	2.638	0.445	4.947	2.027
उत्तर प्रदेश	330.5	640.9	502.6	294.9	612.3	930.7	289.3	627.6	977.1
उत्तराखंड	33.3	65.6	135.0	39.0	80.5	122.3	55.2	117.4	207.9
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग	**4,048.8**	**13,070.7**	**20,500.5**	**3,722.8**	**12,304.9**	**20,613.9**	**3,957.3**	**12,422.0**	**19,755.2**

जारी .../-

पीएमएफबीवाई के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक प्रीमियम में किसानों की हिस्सेदारी, प्रीमियम में भारत सरकार की हिस्सेदारी और भुगतान किए गए दावों का राज्यवार विवरण (30.06.2025 तक) (रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24			2024-25			कुल		
	किसानों का हिस्सा	भारत सरकार शेयर	भुगतान किए गए दावे	किसानों का हिस्सा	भारत सरकार का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	किसानों का हिस्सा	भारत सरकार का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.004	0.011	0.020	0.005	0.017	-	0.035	0.204	0.253
आंध्र प्रदेश	-	447.4	-	32.5	344.3	-	795.1	3,780.6	5,375.3
असम	5.7	79.2	58.2	8.7	102.1	8.9	35.5	460.1	650.3
बिहार	-	-	-	-	-	-	402.5	1,096.8	811.1
छत्तीसगढ	219.9	700.0	588.3	225.0	721.5	111.7	1,627.2	4,463.2	7,498.6
गोवा	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.006	0.192	0.017	0.146
गुजरात	-	-	-	-	-	-	1,499.4	5,204.8	5,613.3
हरियाणा	154.9	246.6	265.2	280.3	388.2	262.6	2,350.3	2,891.3	8,907.4
हिमाचल प्रदेश	37.6	114.1	131.7	39.4	121.0	0.0	263.1	439.7	595.5
जम्मू और कश्मीर	16.7	72.7	34.6	11.1	48.6	23.2	67.0	200.9	153.9
झारखंड	-	-	-	0.3	343.3	-	75.4	856.7	857.3
कर्नाटक	373.2	1,173.2	3,349.6	418.5	722.3	1,163.8	2,536.3	7,827.3	16,982.7
केरल	11.6	46.6	47.7	14.1	55.1	-	76.1	321.5	629.9
मध्य प्रदेश	654.0	1,042.3	776.2	653.6	1,037.2	-	6,790.9	17,208.8	30,248.5
महाराष्ट्र	195.1	4,235.2	9,522.6	86.6	3,844.2	3,596.7	5,447.0	24,716.7	43,339.5
मणिपुर	0.5	1.6	2.0	0.5	1.4	-	3.7	7.9	8.8
मेघालय	0.008	6.206	14.041	0.007	6.885	9.489	0.739	13.211	24.053
ओडिशा	12.6	612.7	232.6	12.0	643.8	112.1	1,154.5	4,997.7	7,141.5
पुदुचेरी	0.002	2.213	0.921	0.002	2.490	0.523	0.855	13.553	16.491
राजस्थान	1,020.4	1,920.0	3,062.6	981.3	1,891.8	0.0	6,808.0	17,470.3	29,034.8
सिक्किम	0.056	0.026	-	0.060	0.127	0.000	0.455	0.191	0.170
तमिलनाडु	149.4	474.5	759.7	153.2	290.1	429.9	1,394.3	6,597.2	15,235.3
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	696.4	846.4	1,906.4
त्रिपुरा	0.573	6.320	1.877	0.403	0.205	0.457	3.776	17.466	12.192
उत्तर प्रदेश	288.0	322.0	467.7	258.9	276.4	350.9	3,099.7	4,316.7	5,718.6
उत्तराखंड	63.0	190.2	347.1	66.4	205.6	153.5	344.6	764.6	1,208.4
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	305.5	636.7	1,218.5
कुल योग	**3,203.3**	**11,693.2**	**19,662.6**	**3,242.8**	**11,046.7**	**6,223.7**	**35,778.7**	**1,05,150.4**	**1,83,189.0**

- कार्यान्वित नहीं किया गया/बहुत कम आंकड़ा

*****